

1968
नि.सहा./स्वा.आयुक्त/.....
दिनांक 30/10/18

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

कमांक/2247/4027/2018/सत्रह/मेडि-1, भोपाल, दिनांक 26/10/2018

प्रति,

✓ आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवाएं,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

विषय:- विदेश जाने की अनुमति- डॉ. प्रज्ञा तिवारी, स्टेट नोडल आफिसर, एन.एच.एम.
भोपाल ।

= 0 0 =

राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. प्रज्ञा तिवारी, स्टेट नोडल आफिसर, एन. एच. एम.
भोपाल म.प्र. को दिनांक 30.10.2018 से 02.11.2018 तक विदेश में International Workshop
on improving Nutrition Services in the care of the III and Valneralble Newborn and Child In
Accra Ghana की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. विदेश यात्रा के दौरान विदेश में कोई पदभार ग्रहण नहीं किया जावेगा, न ही कोई इन्टरव्यू आदि में भाग लिया जावेगा ।
2. विदेश में कोई प्राईवेट प्रेक्टिस आदि नहीं की जावेगी ।
3. विदेश यात्रा पर होने वाला पूर्णतः व्यय USAID/ Washington द्वारा की जावेगी ।
4. विदेश यात्रा पर जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी से यात्रा अवधि का अवकाश स्वीकृत कराना होगा ।

उक्त के संबंध में समस्त प्रकार के शासकीय नियमों का पालन अनिवार्य होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार, .

(अजय नथानिलय)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. कमांक/2248/4027/2018/सत्रह/मेडि-1, भोपाल, दिनांक 26/10/2018

प्रतिलिपि :-

1. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल की ओर उनकी टीप कमांक एनएचएम/सीएचएन सेक्शन फाईन नं. 3647, दिनांक 26/10/2018 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
 2. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन, भोपाल
 3. डॉ. प्रज्ञा तिवारी, स्टेट नोडल आफिसर, एन.एच.एम. भोपाल म.प्र. ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग